न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–35/2013 (2023/11)

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
बाबुलाल रूघुनाथ जी मिस्त्री पुत्र रूघनाथ जी मिस्त्री जाति सुथार निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		**1.ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा जरिये सरपंच तहसील लूणी जिला जोधपुर।** **2. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।**

अपील पत्र अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह ।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

दिनांकः–04.03.2026

आदेश

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा संख्या 445, 446, 466 व 470 में से खातेदार पानी पत्नि लालाराम, भीकीदेवी पुत्र स्व. लालाराम व अमराराम पुत्र सोनाराम से सम्पूर्ण हिस्सा 0.799759 हैक्टेयर भूमि दिनांक 11.10.2022 को रजिस्ट्रर्ड बेचान से खरीद की है। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अपने नाम उक्त खरीद की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने बाबत बेचाननामा हल्का पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस बाबत हल्का पटवारी धुन्धाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2206 दर्ज किया भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर दस्तावेज अनुसार अंकन सही पाया गया की टिप्पणी की गई परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा द्वारा अपनी मनमानी टिप्पणी व बिना कानूनन आधार बतकार म्यूटेशन संख्या 2206 ग्राम पंचायत बैठक में दिनांक 05.12.2022 को खारिज कर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पेश किया।
2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नोटिस रजिस्ट्रर्ड डाक जरिये तामिल जिसकी रसीद पत्रावली में सलंग्न होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट की और से कोई उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का स्वंय द्वारा नोटिस तामिल जो शामिल मिसल है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

3. अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह बताया कि ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नम्बर 445, 446, 466 व 470 में से रकबा 0.799759 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट दिनांक 11.10.2022 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान के आधार पर खरीद की है। अपीलान्ट ने रिर्कोडेड खातेदार को उसका प्रतिफल देकर बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय लूणी में दिनांक 11.10.2022 को पंजीबद्व करवाया गया अपीलान्ट ने खरीद की गई भूमि मे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी धुन्धाड़ा के समक्ष बेचाननामा प्रस्तुत किया है। जिस पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 2206 दर्ज किया तथा दिनांक 04.11.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर दस्तावेज अनुसार अंकन सही होने का उल्लेख किया है। परन्तु सरपंच ग्राम पंचातय धुन्धाड़ा द्वारा अपनी मनमानी टिप्पणी व बिना कानूनन आधार बताकर नामान्तरकरण संख्या 2206 दिनांक 05.12.2022 को खारिज कर दिया जो विधि विरूद्व ही है अपीलान्ट को बेचान की गई भूमि में शेष खातेदारों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती नही की है तथा न ही मौके पर विवाद है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा द्वारा अस्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2206 आदेश दिनांक 05.12.2022 को पारित आदेश को निरस्त किया जावे अपीलान्ट के नाम बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खरीद की गई भूमि बतौर खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया है।

5. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 को अन्दर म्याद शुमार की जाती है अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 2206 में सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा का आदेश दिनांक 05.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 11.10.2022 के आधार पर नियमानुसार अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सरे से करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी